"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 544] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2017 — अग्रहायण 28, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 (अग्रहायण 28, 1939)

क्रमांक-11433/वि. स./विधान/2017. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में न्यायालय फीस (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 20 सन् 2017), जो मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 20 सन् 2017)

न्यायालय फीस (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2017

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुये रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का सं. 7) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम न्यायालय फीस (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम , 2017 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 13 का संशोधन. 2. न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का सं. 7) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 13 में, शब्द "कलक्टर से" के पश्चात्, शब्द एवं विराम चिन्ह "या यथा विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से," अंत:स्थापित किया जाये.

धारा 14 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 14 में, शब्द "कलक्टर से" के पश्चात्, शब्द एवं विराम चिन्ह "या यथा विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से," अंत:स्थापित किया जाये.

धारा 15 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 15 में,-

(एक) शब्द "कलक्टर से" के पश्चात्, शब्द एवं विराम चिन्ह "या यथा विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से," अंत:स्थापित किया जाये; और

(दो) शब्द एवं चिन्ह "खण्ड (ख) या खण्ड (घ)" के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह "खण्ड (ख) या खण्ड (ङ) या खण्ड (च)" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 16 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 16 में, शब्द "कलक्टर से" के पश्चात्, शब्द एवं विराम चिन्ह "या यथा विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से," अंत:स्थापित किया जाये.

धारा 25 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 25 में, शब्द "स्टाम्पों" के स्थान पर, शब्द " यथा विहित रीति में राज्य सरकार को भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण या स्टाम्पों" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 27 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 27 में, खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाये तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (कक) के पूर्व, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(क) न्यायालय फीस एवं उसके प्रतिदाय के भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण की रीति;"

धारा 30 का संशोधन. 8. मूल अधिनियम की धारा 30 में,-

(एक) द्वितीय पैरा में, पूर्ण विराम चिन्ह " ।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये, तथा

(दो) द्वितीय पैरा के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि जहां न्यायालय फीस, भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा संदेय है, वहां स्टाम्प को निरस्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी, भुगतान की प्रामाणिकता का सत्यापन करेगा तथा स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् कि न्यायालय फीस संदेय है, कम्प्यूटर में प्रविष्टि को लॉक करेगा तथा दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर के अधीन पृष्ठांकित करेगा कि न्यायालय फीस संदेय है तथा प्रविष्टि को लॉक किया गया है."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत :, ई-न्यायालय फीस प्रणाली, छत्तीसगढ़ ई-न्यायालय फीस नियम, 2015 के माध्यम से राज्य में स्थापित किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से न्यायालय फीस के भुगतान एवं प्रतिदाय हेतु समर्थ है और तद्नुसार, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का सं. 7) की धारा 13, 14, 15, 16, 25, 27 एवं 30 में न्यायालय फीस के भुगतान एवं न्यायालय फीस के प्रतिदाय के लिये उक्त अधिनियम में, समर्थकारी प्रावधानों को निगमित करने की आवश्यकता महसूस की गई है.

अतएव, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का सं. 7) में संशोधन करना प्रस्तावित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

महेश गागड़ा
विधि और विधायी कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का सं. 7) की धारा 13, 14, 15, 16, 25, 27 एवं 30 का सुसंगत उद्धरण -

धारा 13. अपील के ज्ञापन पर संदत्त फीस की वापसी- यदि ऐसी किसी अपील या वादपत्र को जो सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर निचले न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया है, ग्रहण कर लिए जाने का आदेश दिया जाता है या यदि अपील में कोई वाद निचले न्यायालय द्वारा दोबारा विनिश्चय के लिये उसी संहिता की धारा 351 में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो, अपील न्यायालय अपीलार्थी को एक प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा जो अपील के ज्ञापन पर संदत्त फीस की पूरी रकम कलक्टर से वापस पाने के लिये उसे प्राधिकृत करेगा.

धारा 14. निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन की फीस वापसी- जहां निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन डिक्री की तारीख से नब्बवें दिन या तत्पश्चात् पेश किया जाता है वहां न्यायालय, तब के सिवाय जब कि विलम्ब आवेदक की ढिलाई से कारित हुआ है, उसे स्वविवेकानुसार एक प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा, जो उसे आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी फीस कलक्टर से वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा जितनी उस फीस से अधिक है जो आवेदन के ऐसे दिन के पूर्व पेश किए जाने की दशा में संदेय होती.

धारा 15. जहां न्यायालय अपना पूर्व विनिश्चय भूल के आधार पर उलट देता है या उपांतरित कर देता है वहां फीस की वापसी- जहां निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन ग्रहण कर लिया जाता है और जहां पुन: सुनवाई पर न्यायालय अपना पूर्व विनिश्चय की विधि या तथ्य को भूल के आधार पर उलट देता है या उपांतरित कर वहां आवेदक न्यायालय से एक प्रमाणपत्र पाने का हकदार होगा जो उसे (आवेदन) पर सदत्त फीस में से उतनी फीस कलक्टर से वापस पाने के लिये प्राधिकृत करेगा जितनी उस फीस से अधिक है जो ऐसे न्यायालय में दिए गए किसी, अन्य आवेदन पर इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के संख्यांक 1 के खण्ड (ख) या खण्ड (घ) के अधीन संदेय होती.

धारा 16. फीस का प्रतिदाय- जहॉ न्यायालय वाद के पक्षकारों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 89 में निर्दिष्ट विवाद के निपटारे के ढंगों में से कोई निर्देशित करता है, वहॉ वादी न्यायालय से ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसमें कलक्टर से ऐसे वाद के संबंध में संदत्त (निर्धारित) फीस को पूरी रकम प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो.

धारा 25. फीसों की स्टाम्प द्वारा वसूली- धारा 3 में निर्दिष्ट या इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य सब फीसें स्टाम्पों द्वारा वसूल की जाएंगी.

धारा 27. स्टाम्पों के प्रदाय, संख्या, नवीनीकरण, और लेखे रखे जाने के लिये नियम- (समुचित सरकार) निम्नलिखित विनियमन के लिए समय-समय पर नियम बना सकेगी :-

(क) इस अधिनियम के अधीन उपयोग में लाए जाने वाले स्टांपों का प्रदाय;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य फीस का द्योतन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्टांपों की संख्या;

(ग) नुकसानग्रस्त या खराब हुए स्टांपों का नवीकरण; तथा

(घ) इस अधिनियम के अधीन उपयोग में लाए गए सब स्टांपों का लेखा रखना;

धारा 30. स्टाम्प का रद्द किया जाना- कोई भी दस्तावेज जिस पर इस अधिनियम के अधीन स्टाम्प अपेक्षित है किसी भी न्यायालय या कार्यालय में जब तक स्टाम्प रद्द नहीं कर दिया जाए तब तक न तो फाइल की जाएगी और न उस पर कारवाई की जाएगी.

ऐसा अधिकारी जिसे न्यायालय या कार्यालय का प्रधान समय-समय पर नियुक्त करे ऐसी किसी दस्तावेज की प्राप्ति पर तुरन्त उसका रद्दकरण उसके चित्र शीर्ष को ऐसे पंच करके करेगा कि स्टाम्प पर अभिहित उसका मूल्य अछूता रहे और पंच करने से निकला भाग जला दिया जाएगा या अन्यथा नष्ट कर दिया जाएगा.

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव.
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.